

दिनांक 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बढ़ता व्यापार घाटा

5031. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बढ़ते व्यापार घाटे की समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पेट्रोलियम, रत्न एवं आभूषण तथा रसायन जैसी प्रमुख निर्यात वस्तुओं के घटते निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या रणनीति है;

(ख) क्या सरकार ने भू-राजनीतिक तनावों तथा संभार तंत्र के व्यवधानों के कारण यूरोप, अफ्रीका तथा सी.आई.एस. जैसे बाजारों में निर्यात प्रवाह पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो इन चुनौतियों को कम करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं;

(ग) यूनाइटेड किंगडम, असियान तथा यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफ.टी.ए.) वार्ता में क्या प्रगति हुई है तथा इन समझौतों से व्यापार अवसरों में कितनी वृद्धि हो सकती है तथा व्यापार असंतुलन को कितना कम किया जा सकता है; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक्स सामान तथा रेडीमेड गारमेंट जैसी वैश्विक चुनौतियों के दौरान भी वृद्धि दर्शाने वाले सहा क्षेत्रों के निर्यात प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या पहल की जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) पेट्रोलियम में व्यापार घाटा मुख्य रूप से पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट और कुछ यूरोपीय देशों और ऑस्ट्रेलिया में मांग में कमी के कारण हुआ है। जबकि, मात्रा के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ा है, निर्यात मूल्य प्राप्ति में गिरावट आई है। भारत की निर्भरता पेट्रोलियम आयात पर घरेलू मांग के 88% के बराबर है और इसका मतलब है कि पेट्रोलियम उत्पादों में व्यापार घाटा लगातार बना हुआ है। रत्न और आभूषण खंड में, निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से यूएसए, यूई और हांगकांग बाजार में स्वनिर्णयगत खर्च में कमी के कारण हुई है। जहां तक रसायनों का प्रश्न है, हमने अप्रैल से दिसंबर, 2024 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.41% की गिरावट देखी है। देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(ख) – सरकार निर्यात प्रवाह पर भू-राजनीतिक तनाव और लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यवधानों के प्रभाव की निरंतर निगरानी करती है। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, अप्रैल-दिसंबर, 2024 के दौरान भारत के सीआईएस क्षेत्र और यूरोप के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 22.43% और 3.14% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, नाइजीरिया, टोगो, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया सहित कुछ अफ्रीकी देशों में निर्यात में गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण चावल के निर्यात पर प्रतिबंध और पेट्रोलियम उत्पाद पोतलदान में गिरावट थी।

इस तरह के व्यवधानों के प्रभावों को कम करने के लिए, सरकार ने निर्यात विविधीकरण, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करने, व्यापार सुविधा और बाजार विकास और पहुंच के उद्देश्य से योजनाओं के

माध्यम से निर्यातकों को सहायता सहित विभिन्न उपाय किए हैं।

(ग) भारत बाजार अभिगम का विस्तार करने, निर्यात गंतव्यों का विविधीकरण करने और व्यापार असंतुलन का समाधान करने के उद्देश्य से यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ (ईयू) सहित कई प्रमुख भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ताओं में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

यूनाइटेड किंगडम के साथ वार्ताओं की शुरुआत जनवरी, 2022 में की गई थी और वार्ताओं के 13 दौर पूरे हो गए हैं। हाल ही में फरवरी, 2025 में हुई चर्चा में व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और हरित वित्त सहित अनेक क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया। बातचीत का उद्देश्य एक संतुलित समझौते तक पहुंचना है जो दोनों देशों के लिए व्यापार अवसरों को बढ़ाने में सहायक हो।

ईयू, एफटीए वार्ताओं को जून, 2022 में फिर से शुरू किया गया है और मार्च 2025 तक वार्ता के दस दौर आयोजित किए जा चुके हैं। इस समझौते से व्यापार गतिशीलता, डिजिटल रूपान्तरण और निवेश में अधिकतम सहायोग की सुविधा प्राप्त होने की अपेक्षा है, जिससे भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहायोग में वृद्धि होगी।

आसियान के संबंध में, वर्तमान में भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते (एआइटीआइजीए) की समीक्षा चल रही है, जो 2010 में लागू हुई। समीक्षा वार्ता के चार दौर 2024 में आयोजित किए गए। समीक्षा इस समझौते को अधिक प्रभावी, न्यायसंगत और व्यापार-सुविधाजनक बनाने के लिए हुई थी। आसियान को भारत का निर्यात इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से लगभग दुगना हुआ है, यह व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने में ऐसी रूपरेखा की क्षमता दर्शाती है।

इन एफटीए का उद्देश्य प्रशुल्क एवं गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करना, प्रक्रियाओं को सरलीकृत करना और भागीदार बाजारों में भारतीय निर्यातों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के संरचनात्मक मुद्दे को हल करना है।

(घ) सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य शृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 (एनपीई 2019) के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों/पहलों को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य चिपसेट सहित मुख्य संघटकों के विकास के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और संचालित करके तथा उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम वातावरण बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। प्रमुख स्कीमों/पहलों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआइ) और देश में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआइ) शामिल हैं।

सरकार भारतीय निर्यातकों को प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और बाजार अभिगम पहल (एमएआइ) स्कीम के तहत अनुदान सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ नियमित द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि नए अवसरों की खोज की जा सके, व्यापार मुद्दों की पहचान की जा सके और उनका समाधान किया जा सके, जिससे भारतीय निर्यात में वृद्धि हो सके।

इसके अलावा, कपड़ा क्षेत्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न स्कीमों/पहलों को लागू कर रही है जैसे कि: (i) आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय कपड़ा अनसंरचना बनाने के लिए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्कीम; (ii) बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम; (iii) मांग जनित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ स्कीम; (iv) रेशम उत्पादन मूल्य शृंखला के व्यापक विकास के लिए रेशम समग्र-2; (v) अनुसंधान

नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2020–21 से 2025–26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन;(vi) हथकरघा क्षेत्र के लिए शुरू–से–अंत तक सहायता हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा भी हस्तशिल्प के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम एवं व्यापार हस्तशिल्प कलस्टर विकास स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

दिनांक 01.04.2025 को उत्तर किए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5031 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

सरकार ने देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- (i) 1 अप्रैल, 2023 से लागू विदेश व्यापार नीति भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करने, व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करने और देश को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार की गई है।
- (ii) व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) विदेशी कंपनियों द्वारा अनुचित व्यापार प्रथाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करता है और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है।
- (iii) भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करके भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित कर रही है। पीएलआइ स्कीम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करती है, महत्वपूर्ण एफडीआई को आकर्षित करती है और देश को महत्वपूर्ण उत्पादन नेटवर्क में एकीकृत करती है।
- (iv) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, नामतः निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम।
- (v) देश भर में 65 निर्यात सुविधा केन्द्रों (ईएफसी) की स्थापना, जिसका उद्देश्य निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई को अपने उत्पादों और सेवाओं को विदेशी बाजारों में निर्यात करने में अपेक्षित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना है।
- (vi) रुपया निर्यात ऋण के पूर्व और पश्च शिपमेंट पर ब्याज समानीकरण स्कीम को भी एमएसएमई क्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- (vii) वस्त्र क्षेत्र निर्यात की श्रम-उन्मुख कुछ वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय शुल्कों और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07 मार्च, 2019 से लागू की गई है।
- (viii) निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01 जनवरी, 2021 से लागू की गई है। 15 दिसंबर, 2022 से इस्पात, फार्मा और रसायन जैसे क्षेत्रों में भी आरओडीटीईपी स्कीम का लाभ बढ़ा दिया गया है, ताकि इन क्षेत्रों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। आरओडीटीईपी स्कीम का लाभ घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाइयों से निर्यात के लिए भी 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
- (ix) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।
- (x) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके और जिले में रोजगार सृजन करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को समर्थन देकर निर्यात हब के रूप में जिलों की पहल शुरू की गई है।
- (xi) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सूचना और मध्यस्थता मंच के रूप में ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो विदेशों में भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग तथा अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को एक साथ लाकर नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं

प्रदान करेगा।

(xii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों स्थित भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका बढ़ाई गई है।

(xiii) विदेश स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित निगरानी करना तथा समय-समय पर सुधारात्मक उपाय करना।

(xiv) सरकार उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच भारतीय निर्मित उत्पादों को खरीदने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देकर वोक्ल फॉर लोकल अभियान को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिसका उद्देश्य आयातित वस्तुओं की मांग को कम करना है।

(xv) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के पास निर्यात संबंधी अवसंरचना को बढ़ाने, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने आदि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केंद्रीय क्षेत्र विशिष्ट स्कीम है।

(xvi) एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) को कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम में प्रमाणन निकायों की मान्यता, जैविक उत्पादन के लिए मानक, जैविक खेती और विपणन आदि को बढ़ावा देना शामिल है।

(xvii) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) मूल्य संवर्धन के लिए अवसंरचना सुविधाओं को उन्नत करने, परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी करने तथा निर्यात के लिए जलीय कृषि उत्पादन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने आदि के लिए सहायता प्रदान करता है।

(xviii) भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने और भारतीय बाजार में घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए गए हैं।

(xix) विभाग ने रासायनिक वाष्प जमाव (सीवीडी) और उच्च दबाव और उच्च तापमान (एचपीएचटी) प्रणाली विकसित करने के लिए 5 वर्षों में 242.96 करोड़ रुपये के आउटलेट के साथ 2023-24 में आइआईटी-मद्रास को एक अनुसंधान और विकास परियोजना प्रदान की है। इससे सस्ती कीमत पर तकनीक उपलब्ध होगी, रोजगार और लैब में ग्रीन डाइमंड का निर्यात बढ़ेगा।

(xx) विभाग ने 01 अप्रैल, 2025 से हीरा अग्रदाय प्राधिकार-पत्र (डीआईए) स्कीम शुरू की है, जो मूल्यवर्धन और निर्यात के दायित्व के साथ 0.25 कैरेट से कम के प्राकृतिक रूप से कट और पॉलिश किए गए हीरों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देती है।

(xxi) इनपुट लागत को कम करने और निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में लैब ग्रीन डाइमंड हीरे के बीजों के शुल्क मुक्त आयात को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एलजीडी बीजों की आसान पहुंच के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में लैब में ग्रीन डाइमंड के बीजों (एलजीडी) पर रियायती दर (आइजीसीआर) पर माल के आयात की प्रयोज्यता को हटा दिया गया है।

(xxii) मूल रसायन, सौंदर्यप्रसाधन तथा रंजक निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) भी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल करता है। इनमें क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम), रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें (आरबीएसएम) का आयोजन, भारत और विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, विभिन्न रासायनिक नियमों पर जागरूकता कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करना और सदस्यों/निर्यातकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना शामिल है।
